रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 1979/ वैशाख 20, 1901
No. 202] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 1979/VAISAKHA 20, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.....
Date.....
GOVT. OF INDIA

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1979

का. आ. 263(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है :—

आदेश

यतः मैंने, नीलम संजीव रेड्डी, भारत के राष्ट्रपति ने, 12 नवम्बर, 1978 को संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) के कतिपय उपबन्धों का प्रवर्तन पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में उस तारीख से छः मास की कालावधि के लिए निलम्बित करते हुए और कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाते हुए जो मुझे उपर्युक्त कालावधि में पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक और समीचीन लगे थे, एक आदेश किया था ;

और यतः मुझे पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि उक्त आदेश के अधीन मेरे द्वारा निलम्बित किए गए अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित बना रहना चाहिए और उसमें किए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध उक्त आदेश में उल्लिखित छः मास की अवधि के परे प्रवृत्त बने रहने चाहिए ;

अतः अब अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं :—

(क) कि मेरे उपरोक्त आदेश के खण्ड (क) के फलस्वरूप निलम्बित अधिनियम के उपबन्धों का निलम्बन और उक्त आदेश के खण्ड (ख) के फलस्वरूप बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध मई, 1979 के 12वें दिन से छः मास की और कालावधि के लिए प्रवर्तित रहेंगे ; और

(ख) यह कि उक्त आदेश के खण्ड (क) में "छः मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

नई दिल्ली,
दिनांक 10 मई, 1979

नीलम संजीव रेड्डी,
भारत का राष्ट्रपति
[सं. यू.-11012/1/79-यू. टी. एल.]
श्री बल्लभ शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 1979

S.O. 263 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, had on the 12th November, 1978, made an Order suspending for a period of six months from that date the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Pondicherry, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I have received a report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that the situation in the Union territory of Pondicherry continues to be such that the administration of that Union territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of the Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by me under the said Order should continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond the period of six months mentioned in the said Order ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct —

(a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of my aforesaid Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the said Order shall continue to be operative, for a further period of six months with effect from the 12th day of May, 1979; and

(b) that for the words "six months" occurring in clause (a) of the aforesaid Order, the words "one year" shall be substituted.

New Delhi,

the 10th May, 1979

NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India

[No. U-11012/1/79-UTL]

S. V. SHARAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979